षोडश

बिहार विधान-सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 26 फाल्गुन, 1938 (श0) / 17 मार्च, 2017 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1) स्वास्थ्य विभाग	03
(2) ऊर्जा विभाग	01
कुल योग —	04

मृत्यु दर कम करना

15. श्री तारकिशोर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 25 जनवरी, 2017 को प्रकाशित शीर्षक "घटने के बदले 12 फीसदी बढ़ गयी बच्चियों की मृत्यु दर" के आलोक में क्या माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में विगत 3 वर्षों में नवजात बालिका शिशु मृत्यु दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 32 स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट में भर्ती दर मात्र 36 प्रतिशत है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नवजात बालिका शिशुओं के मृत्यु दर में कमी लाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू करना

16. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कैंसर का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है और प्रत्येक वर्ष राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 90 हजार कैंसर के मरीज इलाज के लिये आते हैं जिसमें से प्रत्येक वर्ष 40 हजार लोगों की मौत हो जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के तहत राज्य में कैंसर के विरुद्ध एक वर्ष पूर्व स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाना था जो अभीतक शुरू नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

खून की कमी दूर करना

17. श्री नितिन नवीन--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 अगस्त, 2016 को प्रकाशित शीर्षक "खून की कमी से जूझ रही है माँ की ममता" के आलोक में क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार की 58.3 प्रतिशत महिलायें एनीमिया से ग्रस्त हैं जिसका खुलासा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के रिपोर्ट में हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार बिहार की एनीमिया ग्रस्त महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिये कौन-सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पावर सब-स्टेशन का निर्माण

18. श्री विनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के 24 जिलों में 44 पावर सब-स्टेशन हैं जिसमें पूर्णियाँ, सीवान में एक-एक, भोजपुर में दो सब-स्टेशन, पूर्वी चम्पारण में छः, बेगूसराय व पश्चिमी चम्पारण में 3-3, कटिहार में सात, सीतामढ़ी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बक्सर, जमुई, अरवल, लखीसराय, शेखपुरा, गोपालगंज, समस्तीपुर जिलों में एक-एक, सारण में चार, दरभंगा, शिवहर व भागलपुर में दो-दो सब-स्टेशन का निर्माण कार्य आधा-अधूरा पड़ा हुआ है जबकि इसकी स्वीकृति वर्ष 2013 में ही दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण राज्य की 30-35 लाख की आबादी को निर्बाध बिजली आपूर्ति में असुविधा हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिलों के पावर सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कराकर निर्बाध बिजली आपूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 17 मार्च, 2017 (ई०) ।

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 128-डी०टी०पी०-500